प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 147/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

महेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासीः गांव–सामरानी, पोस्ट–कोडका, तहसील–रानीवाड़ा, जिला–जालोर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08-01-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/147/23/1544–45 दिनांक 11.12.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/147/2023/1303 दिनांक 15.12.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय का अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1230 दिनांक 03.11.2023 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अनुसार नियमानुसार 2/– रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 351 अनुसार कुल राशि 702/– राजकोष में जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नही

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

करवाई गई। अतः आप प्रार्थी को निर्देशित करे कि उनके द्वारा चाही जा रही सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा सूचना प्राप्त करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 24.10.2023 को प्रेषित किया गया था, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1303 दिनांक 15.12.2023 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1230 दिनांक 03.11.2023 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है, अपीलार्थी को चाहिए कि वह लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर के कार्यालय में वांछित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर